ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0डी0 केस सं0– 26/2021–22

16 आना रैयत बनाम् सफरूद्दीन अंसारी, ग्राम प्रधान

–: आदेश :–

12.07.22

आवेदक लक्ष्मण पंडित, एवं अन्य 16 आना रैयत, मौजा–तेतरिया, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा द्वारा सफरूद्दीन अंसारी, ग्राम प्रधान, मौजा–तेतरिया के विरूद्ध रैयतों को डरा–धमका कर लगान ज्यादा लेना, फलदार वृक्ष को कटना, प्रधानी जमीन को बेचने तथा आम रैयतों से अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए प्रधानी पद से बर्खास्त करने हेतु वाद दायर किया गया है।

दायर वाद के आलोक में अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–940/रा0 दिनांक–25.06.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दोनो पक्षों के बीच आपसी आपसी विवाद होने के कारण आवेदकगण के द्वारा ग्राम प्रधान के विरूद्ध आरोप लगाया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन एवं अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकगण के आवेदन को खारिज की जाती है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

12.07.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

12.07.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Bande Kumar Singh
Adv
08/08/...

Seen
Md. Saud Ali
Adv.
21/9/2022

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.17 15:12:58 +05:30
Location: 192.168.8.116